निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 माघ 1942 (श0)

(सं0 पटना 104) पटना, मंगलवार, 9 फरवरी 2021

xg foHkkx
¼vkj{kh 'kk[kk½

---

vf/kl pukk
8 फरवरी 2021

l E 8@c-2&10&32@2019&1179@x0vk0—बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम–7, 2007) की धारा 55 सह–पठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम–663 के अन्तर्गत परिशिष्ट–103 के कंडिका–1(छ) के पूर्व से विद्यमान प्रावधानों को राजपत्र में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं :–

1¼N½ आवेदन–पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में 1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. गणित, 4. समाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र), 5. विज्ञान (भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान), 6. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी । दो घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिए जाएंगे । उत्तर–पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी। न्यायालय वाद की स्थिति में संबंधित उत्तर–पुस्तिका को वाद निष्पादन तक पर्षद द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।

fcgkj&jkT;iky d vkns'k l]
fxjh'k ekgu Bkdj]
l jdkj d voj l fpoA

8 फरवरी 2021

l0&8@c-2&10&32@2019&1180@x0vk0@एतद् द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना सं0–1179, दिनांक **8 फरवरी 2021** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत–संविधान के अनुच्छेछ–348 के खण्ड–(3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

fcgkj&jkT;iky d vkns'k ls]
fxjh'k eksgu Bkdqj]
ljdkj ds voj lfpoA

The 8th February 2021

No. 8/B-.2-10-32/2019-1179/H.P—In exercise of the powers conferred under section 55read with section 94 of the Bihar Police Act, 2007(Act 7 of 2007), the Governor of Bihar is pleased to substitute the pre-existing Para 1(g) of Appendix-103 under rule 663 of The Bihar Police Manual, 1978 by the following, with effect from the date of issue of the notification in official Gazette:-

1(g). After collection of application forms, scrutiny of application forms will be made and written examinations will be conducted for those candidates whose application forms are found in order. Standard of written examination will be of Matric (10th) of Bihar School Examination Board or equivalent level. In written examination, question paper will have objective type question form 1. Hindi, 2. English, 3. Math, 4. Social Science (History, Geography, Civics, Economics), 5. Science (Physics, Chemistry, Zoology, Botany), 6. General Knowledge and Current affairs. Written Examination will be of 100 marks. The question paper of two hours duration, will have total 100 questions, in which 01 marks will be given for each correct answer. Answer-book will be in duplicate, out of which one copy will be preserved with the selection board as invisible carbon copy for one year after the final selection list is published. In case of a court case, the relevant answer sheet will be preserved by the board till execution of the suit.

By the order of the Governor of Bihar
GIRISH MOHAN THAKUR,
Under Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 104-571+250-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in